22/10/19	पत्रावली पेश हुई। उभय-पक्ष उपस्थित प्रार्थीगण के वकील ने पेश होकर निवेदन किया कि दि. 15/7/19 को सरपंच ग्राम पंचायत डाबीपुरा द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

जारी वारिस प्रमाण पत्र के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं. 1 ही वारिसान है एवं अप्रार्थी सं. 2 न ही जायदा पुत्र है एवं न ही गोदनामे जरिये गोद लिया गया पुत्र है। इस हेतु विपक्षी ने कोई दस्तावेजात भी उपलब्ध नहीं किये। अप्रार्थी सं. 2 के वकील ने उपस्थित हो कर निवेदन किया कि उनके पक्षकार का वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा है जिससे उनका हक बनता है। उभय-पक्ष की बहस सुनी गयी एवं संलग्न दस्तावेजात का अध्ययन / अवलोकन किया गया।

बाद बहस एवं अवलोकन पाया गया कि अप्रार्थीगण सं. 2 स्व. सूनाराम की जाईन्दा वारिसान न है एवं न ही गोद पुत्र जरिये गोदनामा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा अपील के निस्तारण तक इस आशय से प्रार्थीगण के पक्ष में, अप्रार्थीगण सं. के विरूद्ध दी जाती है कि वे वादग्रस्त आराजियात का बेचान, विक्रय, वादग्रस्त आराजियात को खुर्द-बुर्द, निर्माण कार्य, प्लाटिंग इत्यादि नहीं करेंगे एवं वादग्रस्त आराजियात की राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति अपील निस्तारण तक बनी रहेगी। पत्रावली में निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर पत्रावली फैसलशुमार हो मूल पत्रावली (अपील) के साथ संलग्न रहे।

सहायक कलेक्टर
[illegible] (नागौर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Singh
Date: 2019.11.26 15:39:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: